फर्द अहकॉम

(नियम 26)

हायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

अमलुराम पुत्र हरपन्दराम (3) जाति विश्नोई नि. जुनी उन्दरी धोलानाडा त. चोखडा ......बनाम (1) जोराराम पुत्र पुनमाराम वगैरा (13) नि जुनी उन्दरी (14) तहसीलदार चोखडा

किस्म मुकदमा राजस्व अपील .... अधि. मुकदमा नम्बर ....57 / 22....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/4/22	प्रार्थी / वादी / अपीलोट के वकील श्री जगदीश विश्नोई ने यह प्रार्थना पत्र / वाद / अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम / भू0–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोडेन्ट जरीये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 16/5/22 को पेश हो । (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी	
16/05/22	पत्रावली आज पेश हुई। विपक्षीगण के रजि० डाक द्वारा भेजना रसीदें पेश की गई। रसीदें शामिल पत्रावली की गई। विपक्षीगण अनुपस्थित। इंतजार है। आइन्दा पत्रावली दिनांक 26/05/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी	
19/05/22	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 - शिविर में पेश नोटिस पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहे हैं। प्रकरण के सम्बन्ध में मौके आज [illegible] मौके के निकट जाकर स्कूल [illegible] की कार्यवाही तहसीलदार [illegible] करें। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली फैसल हेतु सुपुर्द होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) (प्रमोद कुमार) उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी	

प्रशासन ग... ...भियान 2021
पंचायत स... गुड़ामालानी/आडेल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:03:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

संख्या: 57 / 2022

प्रार्थीगण :–

1. अमलूराम पुत्र हरचंदराम
2. आसूराम पुत्र हरचंदराम
3. बींजाराम पुत्र हरचंदराम

   जाति विश्नोई निवासी जूनी उन्दरी, धौलानाडा तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. जोराराम पुत्र पूनमाराम
2. अमराराम पुत्र मांगाराम
3. खुमाराम पुत्र मांगाराम
4. खेराजराम पुत्र मांगाराम
5. गोसाईराम पुत्र मांगाराम
6. जोगाराम पुत्र मांगाराम
7. रूखमण पत्नी मांगाराम
8. अचलाराम पुत्र धर्माराम
9. करनाराम पुत्र धर्माराम
10. केशाराम पुत्र धर्माराम
11. चुतराराम पुत्र धर्माराम
12. बांकाराम पुत्र फूसाराम
13. गोमाराम पुत्र धर्माराम

    जाति जाट निवासी केसरिया धाम, धोलानाडा तहसील नौखडा जिला बाड़मेर
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नौखडा जिला बाड़मेर

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 19/05/22

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थी[illegible] विश्नोई की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन [illegible]यालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2073–20[illegible] केसरिया धाम के खेत खसरा नम्बर 44[illegible]बा कमशः 4.1683, 4.1359 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रा[illegible]ण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:03:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखडा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा केसरिया धाम के खेत खसरा नम्बर 446/136, 447/136 रकबा क्रमशः 4.1683, 4.1359 हैक्टेयर के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखडा को 1000/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखडा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 19/5/2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:03:31 IST
Reason: SelfAttested